न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.42 / प्रा.पत्र / 2024	21.02.2024	08.04.2025
(GCMS No. 2024 / 54)		

गणपतलाल आ. बृजमोहन जाति मीणा,
निवासी धाकड़खेडी, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जर्ये परियोजना निदेशक, परियोजना कियान्वयन इकाई, सवाई माधोपुर मकान नं.12 श्यामसरोवर पटेल नगर, आलनपुर सवाई माधोपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जर्ये अधीक्षण अभियन्ता, बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री संजय कुमार जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री अजीत जोशी, एडवोकेट।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा बून्दी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु विद्युत लाईन के टावर को स्थापित करने के लिए प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा संख्या 114 व 217 ग्राम धाकड़खेडी, तहसील इन्द्रगढ में लगे हुए पेडों एवं फसल के नष्ट हो जाने से मुआवजा दिलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 इस न्यायालय में पेश किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 42/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/54 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 16.04.25 को, अप्रार्थी सं.2 की ओर से दिनांक 19.03.24 को एवं अप्रार्थी सं.3 की ओर से दिनांक 24.02.25 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुम्बई के निर्माणाधीन कार्य के अन्तर्गत अप्रार्थी सं.3 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा टावर लगाया जाकर भूमि में तारबन्दी की गई जिसमें प्रथम चरण के कार्य में प्रार्थी के खाते की भूमि के 50 पेड़ नष्ट हुये, जिसका मुआवजा 8,22,225/– रूपये तहसीलदार इन्द्रगढ़ की अनुशंषा पर प्रार्थी के पक्ष में भुगतान किया गया। प्रार्थी के स्वामित्व के खेत खसरा सं.114 में स्थित अमरूदों के 118 पेड़ द्वितीय चरण में नष्ट होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को सहायक निदेशक, उद्यान से नष्ट हुये पेडों के मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी गई और बिना वैधानिक रिपोर्ट एवं मूल्यांकन के आंकलन के आधार पर प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 114 पर लगे हुये 118 पेडों के नष्ट होने का मुआवजा तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा 21,97,020/– रूपये प्रस्तावित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भेजा गया, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा 118 पौधों के नुकसान की क्षतिपूर्ति स्वरूप 5,55,780/– रू. की राशि का भुगतान किया गया जिसकी सूचना पत्र दिनांक 28.08.2023 प्रेषित की गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को 21,97,020/–रूपये की जगह 5,97,520/– रूपये की राशि भुगतान किया गया है जो गलत है। प्रार्थी उसके नष्ट हुए 118 पेडों व चने की फसल नष्ट होने का मुआवजा 21,97,020/–रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसमें से प्रार्थी को 5,55,780/– रूपये प्राप्त हो गये है, जो प्रार्थी द्वारा अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुये प्राप्त किये गये है। उक्त अन्तर राशि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को आज दिन तक नहीं दी गई है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान विभाग की रिपोर्ट में वैधानिक रूप से दर्शित राशि के अनुसार मुआवजा प्रदान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जनपथ श्याम नगर जयपुर को प्रेषित किया गया जिसके जवाब में उक्त आधार पर राशि का भुगतान करने से स्पष्ट मना कर दिया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि 21,97,020/–रू. में से 5,55,780/– रू. समायोजित कर 16,41,240/– रू. की राशि पंचाट की अधिकारिता के प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थी को न्यायोचित सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी में अंकित खसरा संख्या 114 एवं 217 वाकेग्राम धाकडखेडी की भूमि भारतमाला परियोजना 148–एन के निर्माण हेतु अवाप्त नहीं की गई है। प्रार्थी के खाते के उक्त खसरों की भूमि के संबंध में अवाप्ति की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 इस न्यायालय में पोषनीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा राजमार्ग निर्माण में उक्त खातेदार की भूमि अवाप्त नहीं की गयी। राजमार्ग निर्माण में 765 केवी विद्युत लाईन की शिफ्टिंग के दौरान फसल/पौधों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि प्रथम चरण में टावर निर्माण हेतु काटे गये वृक्षों की मुआवजा राशि 8,22,225/–रू. एवं द्वितीय चरण में विद्युत लाईन गिरने से वृक्षों की हुई क्षति के लिये राशि 5,97,520/–रू. का निर्धारण किया जाकर अब तक 13,78,005/– का भुगतान श्री गणपतलाल आ. बृजमोहन जाति मीना निवासी धाकडखेडी को किया जा चुका है। क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण वृक्षों को पुनः लगाने एवं वर्तमान स्थिति में आने तक के व्ययों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी(5) के अन्तर्गत किया गया है, जबकि यह प्रकरण भूमि अवाप्ति से संबंधित ना होकर विद्युत लाईन शिफ्टिंग के दौरान हुई हानि की क्षतिपूर्ति से संबंधित है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी विधि के प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा राजमार्ग निर्माण में उक्त खातेदार की भूमि में स्थित कितने पेड नष्ट हुये एवं कितनी फसल नष्ट हुई तथा प्रार्थी का कितना मुआवजा निर्धारण हुआ और प्रार्थी को कितना मुआवजा मिला, इसके बारे में अप्रार्थी सं.3 को कोई जानकारी नहीं है। मौके पर अप्रार्थी सं.3 द्वारा किन्ही भी विद्युत टावरों की स्थापना नहीं की गई है, जो विद्युत टावर स्थापित किये गये वह टावर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा उनके द्वारा बनवाई गई सडक के रास्ते में आने वाले पुराने विद्युत टावरों के स्थान पर नये विद्युत टावर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ही स्थापित किये गये है। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा किसी भी विद्युत टावर की स्थापना नहीं की गई, अपितु अप्रार्थी सं. 3 का कार्य विद्युत टावरों का तकनीकी निरीक्षण मात्र रहा है। ऐसी स्थिति में सडक निर्माण के दौरान या विद्युत टावर की शिफ्टिंग के दौरान पौधों या फसल की किसी प्रकार की क्षति का अप्रार्थी सं. 3 से कोई सरोकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं. 3 खारिज फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम पेश किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडौदरा निर्माण में प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 114 व 217 वाकेग्राम धाकडखेडी पर नष्ट हुये पेडों एवं फसल का मुआवजा दिलाये जाने बाबत पेश किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं.148 एन दिल्ली से बडौदरा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 114 व 217 वाकेग्राम धाकडखेडी अवाप्त नहीं की गई। परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2023 के अनुसार राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में आने वाली 765 केवी विद्युत लाईन की शिफ्टिंग के दौरान प्रार्थी की भूमि में स्थित फसल एवं अमरूद के पौधों का नुकसान हुआ है। उक्त विद्युत टावर निर्माण हेतु हटाये गये पौधों के लिए 8,22,225/–रू. एवं विद्युत लाईन की शिफ्टिंग के दौरान पौधों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये 5,55,780/–रू. राशि का भुगतान प्रार्थी को किया जा चुका है।

जहां तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम का प्रश्न है तो इस संबंध में National Highway Act 1956 की धारा 3-G (5) में उल्लेखित है कि "If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government. " विधि के उक्त प्रावधान के अनुसार यह न्यायालय मात्र अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि के कम या ज्यादा के संदर्भ में ही आदेश पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 में प्रार्थी द्वारा उसके खाते की भूमि अवाप्त होने या अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि कम निर्धारित किये जाने को चुनौती नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में इस कार्यवाही में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विधिक प्रावधान के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी